

कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल

क्रमांक-एक/स्था. 1/83/2019/ 4649

भोपाल, दिनांक 28-10-2020

प्रति,

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल
आई.टी. प्रभारी,
मुख्यालय, भोपाल

विषय : आरक्षित वर्ग का लाभ लेने वाले कर्मचारी (औषधि निरीक्षक एवं खाद्य निरीक्षक) विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने के संबंध में।

::0::

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कार्यालय में उपलब्ध आरक्षित वर्ग का लाभ लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी दस्तावेज विभागीय वेबसाइट में अपलोड करवाकर सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न- प्राप्त जाति प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति कुल-10

संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश

प्रारूप 3-(ब) 1 म. प्र. की अन्ध पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप (नियम 2, 3, 6 देखें)

सामान्य अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

स्थायी प्रमाण-पत्र

9

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग जुन्नारदेव जिला देवदाड़ा (मध्यप्रदेश)

पुस्तक क्रमांक 18

प्रकरण क्रमांक 55/10/12/104
05

प्रमाण पत्र क्रमांक 55

- जाति प्रमाण-पत्र -

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री शारद चन्द
आत्मज श्री किशोर चन्द निवासी/ग्राम जुन्नारदेव जिला देवदाड़ा
संभाग जबलपुर म. प्र. के निवासी है, जो बेली जाति के हैं, जिसे
पिछड़ा वर्ग के रूप में, म. प्र. शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना
क्रमांक एफ 8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमार्ग्य किया गया है।

श्री शारद चन्द और/या उनका परिवार सामान्यतः म. प्र. के जिला
देवदाड़ा संभाग जबलपुर में निवास करता है व म. प्र. राज्य में
दिनांक प्रवृत्त कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री किशोर चन्द (पिता का नाम) क्रीमीलेयर
(सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कामिक एवं प्रशिक्षण
विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्वा. (एस. सी. टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची कालम 3 में तथा
म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1/बा. प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ
संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक 4/5/05
(सिल)

38
हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
राजस्व - जुन्नारदेव
पटनाम

अभिहित अधिकारी
खाद्य सुरक्षा प्रशासन
बालाघाट (म.प्र.)

कार्यालय अनुविधानिय अधिकारी (प्रमाणिकरण)

10766

अनुमान 108 रिजनी जिला रिजनी मध्यप्रदेश

प्रमाण-पत्र क्रमांक 8411

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणिका/1189/137/1089

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री श्री

सुभा/पुत्री श्री सुभा/पुत्री श्री

जिला

रिजनी

निवासी ग्राम/नगर

सुभा/पुत्री श्री सुभा/पुत्री श्री

(मध्यप्रदेश)

जाति/जनजाति का/श्री/मध्यप्रदेश है और इस जाति/जनजाति का सी.ए.पी.ए. नं. अनु.प्र.दे. 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिश्चित किया गया है और यह जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन)

अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रम क्रमांक 36 जाति/जनजाति पर अधिकतम


अतः श्री/श्रीमती/कुमारी

सुभा/पुत्री श्री सुभा/पुत्री श्री

पिता/पति का

अनुसूचित जाति/जनजाति का/प्रमाणित है

सुभा/पुत्री श्री सुभा/पुत्री श्री



Madhya Pradesh Sahakarikaran

Handwritten signature in blue ink.

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाणिकरण

Handwritten notes and signature at the bottom left corner.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग खरवनादौन जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

जाति प्रमाण-पत्र

प्रकरण क्रमांक 132/45
बी-121-2003-04

पुस्तक क्रमांक 091
प्रमाण-पत्र क्रमांक 09045

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी रंजना

पिता/पति का नाम दिनेश कुमार निवासी ग्राम/नगर पतलीन [38]

विवं खरवनादौन तहसील खरवनादौन जिला सिवनी, संभाग जबलपुर

जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह पूरखान जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन)

अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमक [38] पर अंकित है, अतः


श्री/श्रीमती/कुमारी रंजना पिता/पति का नाम दिनेश कुमार

अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी रंजना है।

के परिवार की कुल आर्थिक आय रूपरेखा रंजना है।

दिनांक (सौर)



9 5 JUL 2004

[Signature]
हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
अनुविभागीय अधिकारी
खरवनादौन

अभिहित अधिकारी
राज्य सुरक्षा प्रशासन
खरवनादौन

अन्य पिछड़े वर्गों के लिये केन्द्र सरकार की संस्थाओं/सेवाओं में आरक्षण सुविधाओं के लिये

प्रारूप - "दो"

जाति प्रमाण पत्र

अनुक्रमांक 14300/B121

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी पैकल कुमार पुत्र/पुत्री
श्री नान्हैलाल निवासी गाम/शहर खड़कवार तहसील
खुलतराई जिला केरल मध्यप्रदेश खर प्र के निवासी है। यह
जाति भारत सरकार के निम्नलिखित आदेशों के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में क्रमांक 13 पर
अधिसूचित है -

1. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1 सं. 186 दिनांक 13 सितम्बर 1993 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93 बीसीसी(सी) दिनांक 10 सितम्बर, 1993
2. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1 सं. 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/9/94 बीसीसी(सी) दिनांक 190 अक्टूबर 1994
3. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1 सं. 88 दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/67/95 बीसीसी(सी) दिनांक 24 मई, 1995
4. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1 सं. 210 दिनांक 11 दिसम्बर 1996 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/96 बीसीसी(सी) दिनांक 6 दिसम्बर 1996
5. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं. 129 दिनांक 08 जुलाई 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93 बीसीसी
6. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं. 164 दिनांक 01 सितम्बर 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/11/12/96 बीसीसी
7. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं. 236 दिनांक 11 दिसम्बर 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/99/94 बीसीसी
8. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं. 239 दिनांक 03 दिसम्बर 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/13/97 बीसीसी
9. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं. 166 दिनांक 03 अगस्त 1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/12/96 बीसीसी
10. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं. 171 दिनांक 06 अगस्त 1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93 बीसीसी
11. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं. 241 दिनांक 27 अक्टूबर 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/98 बीसीसी
12. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं. 270 दिनांक 6 दिसम्बर 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/88/98 बीसीसी
13. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं. 71 दिनांक 4 अप्रैल 2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/36/99 बीसीसी

2. श्री नान्हैलाल और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला खर प्र में निवास करता है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री नान्हैलाल भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93 - स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित क्रीमीलेयर (सुभ्यन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

आ. वि. अ. म. 97 जी. प. व. 1/1/1/2000 सं. 14300/B121-खर-02-03 के आधार पर जारी।

स्थान - मध्यप्रदेश

दिनांक 29/11/08

मुख

खर प्र
प्रमुख प्राधिकारी
के असाधारण राजपत्र

सूचना विभाग/सूचना प्रसारण विभाग/सूचना प्रसारण विभाग/सूचना प्रसारण विभाग

अनुभाग जबलपुर जिला जबलपुर मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक 1

प्रमाण-पत्र क्रमांक 38

प्रकरण क्रमांक 19/97-121/99-2000

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी शारदा विनोदिया पिता/पति का नाम बिहारजीलाल विनोदिया माया/नगर करियापाथर विकास खण्ड जबलपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर संभाग जबलपुर जाति/जनजाति का/की सदस्य है। और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 389 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह कोबी जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमंक 31 पर अंकित है अतः श्री/श्रीमती/कुमारी शारदा विनोदिया पिता/पति का नाम बिहारजीलाल विनोदिया अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी शारदा विनोदिया के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक 24/11/2000



Attested

Signature and name of the District Collector, Jabalpur.

(सौल)

76

स्थान परिशदात्मक नियम क्र. 8 (1) म. प्र. सं. 1978

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग मोहदा जिला गिरफ्तार मध्य प्रदेश
पु. क्र. प. क्र. 113

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी दिनेश सिंह निम्न पिता/प्रति का नाम श्री श्री प्रताप सिंह निम्न निवासी ग्राम/नगर मोहदा वि. ख. मोहदा तहसील जिला गिरफ्तार चम्बल समूह जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह (जाटव) जाति/जनजाति अनुसूचित एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक (15) पर अंकित है।

अतः श्री/श्रीमती/कुमारी दिनेश सिंह पिता/प्रति का नाम श्री श्री प्रताप सिंह अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी दिनेश सिंह निम्न के परिवारिक कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक 23 (मौल) अनुविभागीय अधिकारी का नाम

जिला-मोहदा

स्थायी प्रमाण-पत्र

परिशिष्ट 'बी' (विधि क्र. 8 (1) दम)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग खिलोजीपुर नौरापुर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

पुस्तक क्र. 6

प्रकरण क्र. 301/0121/2023

जाति प्रमाण-पत्र

888 प्रमाणित किया जाता है कि श्री कन्हैयालाल

आत्मज श्री रतनलाल निवासी/ग्राम धानपुरा जिला/

सभाग भोपाल मध्यप्रदेश के निवासी है, जो कुहार जाति का है, जिसे पिछड़ा

वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एक 8-5-पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा उद्घोषित किया गया है।

श्री कन्हैयालाल और/या उनका परिवार ज्ञानान्वित मध्यप्रदेश के जिला राजगढ़ सभाग भोपाल में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री रतनलाल कोमलपूर (सम्बन्धन वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360/2/22/93/स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आ.क्र. एक. 7-26/93/1/आ.प्र. दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के बालन (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी कन्हैयालाल के परिवार की कुल वार्षिक आय रु. 2 है।

दिनांक 22.10.23

अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण, आदिमजाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राजगढ़, मध्यप्रदेश

Designated Officer Food Safety Admin Dist. Rajahmundry (M.P.)

78

पृष्ठ सं. १

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रधानीकरण) अनुभाग मुरैना, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश,

पु. सं.
प्रमाण-पत्र संख्या: ५५१०

प्रमाण-पत्र संख्या: ५५१०

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री वृजेश कुमार
 आत्मा श्री चालीराम
 निवासी/ आमपुरा तहसील मुरैना
 जिला मुरैना संभाग मध्य मध्यप्रदेश के निवासी है, जो जाट
 जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को सचिवालय के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य
 के संवत् १९५६ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में सिद्धित किया गया है और यह जाट
 जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में
 अनुक्रम सं. 14 पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी वृजेश कुमार
 पिता/पति का नाम चालीराम अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी वृजेश कुमार
 के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये 15,000/- है।

दिनांक 11/07/20



[Signature]
 क. न. श्रीमान/श्रीमती
 जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

[Signature]
 अनुविभागीय अधिकारी का नाम
(दो० हनुमंत सिंह)
 अनुविभागीय अधिकारी
 अनुविभाग मुरैना (प. ३०)

22

श्री

(परिशिष्ट-4, नियम-8 देखिए)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, परगना सीतामऊ (म. प्र.)


प्रमाणिकरण

स्थाई प्रमाण-पत्र

पुस्तक क्रमांक :- पेज क्रमांक

प्रकरण क्रमांक :-

दिनांक 24/05/2003



यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमति/कुमारी

राजू

पिता/पति का नाम श्री मदन लाल निवारी ग्राम/बगर जमुनिगौ

विकास खण्ड सीतामऊ तहसील सीतामऊ जिला-मंडसौर संभाग उज्जैन म. प्र. जाति/जन्मजाति

का/की सदस्य है और इस जाति/जन्मजाति के संविधान के अनुच्छेद 341/341 के अधिन म. प्र. राज्य के सम्बंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन्मजाति के रूप में विनिष्ट किया गया है। और यह

जाति /जन्मजाति/अनुसूचित जाति/ एवं जन जाति शोधन। अधिनियम कं. 1976 के अंतर्गत म. प्र. की सूचि कं. 04 (चार) पर नाम अंकित है।

अतः श्री श्रीमति/कुमारी

राजू

पिता/पति का नाम मदन लाल अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन्मजाति का/की सदस्य है।

2. प्रमाणित किया जाता है की आवेदक श्री/श्रीमति/कुमारी के परिवार की

कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक 24/05/2003

नोट :- यह प्रमाण-पत्र मूल रूप से स्थाई है।

उप संचालक
खाता एवं आपत्ति प्रशारण
जिला- नोभस (म. प्र.)

हस्ताक्षर
उप संचालक

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

तहसील - सैलाना
जिला - रतलाम, मध्यप्रदेश

(अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र)

पकरण क्रमांक 1630/बी - 121/जाति प्रमाण पत्र
हस्तलिखित प्रमाण पत्र जारी दिनांक : 19/06/2013
प्रमाण पत्र क्रमांक : RS/434/0117/795/2018

दिनांक : 30/08/2018

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पुजा भाभर पुत्री श्री रामचन्द्र भाभर (पिता) एवं श्रीमती गीता भाभर (माता) ग्राम कांगसी, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) भील जनजाति की सदस्य हैं। उनकी जाति संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 7 पर निम्नलिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है:-

1. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976

श्रीमती पुजा भाभर पुत्री श्री रामचन्द्र भाभर सामान्यतः (Ordinarily) ग्राम कांगसी, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) की निवासी हैं।

स्थान : सैलाना
दिनांक : 30/08/2018
आधार नंबर : XXXXXXXX8076
समग्र नं. :



तहसील - सैलाना

श्रीमती लक्ष्मी गामड
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र म.प्र. शासन की Digitally Signed document repository www.mpdistrict.gov.in से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पत्र पर
1. यह प्रमाण पत्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्य है।
2. प्रमाण पत्र का सत्यापन एजीएम क्र. RS/434/0117/795/2018 के द्वारा वेबसाइट <http://mpdistrict.gov.in> के माध्यम से किया जा सकता है।

ए.पी.भा.स.स.
राजस्व वि. जा.प.वि. प्रशासन
(विना-कांग (व.प्र.))

